<u>ड्रैस कोड सूचना दि.वि.प्रा. परीक्षा हेतु</u>

दि.वि.प्रा. भर्ती 2016 के अंतर्गत विभिन्न पदों हेतु परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए ड्रैस कोड/आवश्यक निर्देश:

विज्ञापन संख्या 03/2016/भर्ती प्रकोष्ठ/कार्मिक-दि.वि.प्रा.

अनुचित साधनों का प्रयोग एवं प्रतिरूपण परीक्षा प्रक्रिया में बाधक हो सकती है, इसलिए दिल्ली विकास प्राधिकरण निष्पक्ष एवं सही तरीके से परीक्षा करवाने के लिए विशेष उपाय करने का प्रयास करेगा। तदनुसार, परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए **<u>सख्ती से अनुपालन किए जाने</u>** हेतु निम्नलिखित विशेष अनुदेश जारी किए जा रहे हैं।

आशा की जाती है कि अभ्यर्थी परीक्षा की गरिमा बनाए रखने में अपना सहयोग देंगे और अपात्र अभ्यर्थियों के चयन को रोकने में सहयोग करेंगे।

1) **<u>प्रतिबंधित वस्तुएँ</u>** - किताबें, पैन, पेंसिल अथवा स्टेशनरी-बॉक्स, पेपर चिट, मैगजीन, इलैक्ट्रॉनिक गैजेट (मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, हैडफोन, पैन/ बटन होल कैमरा, स्कैनर, कैलक्यूलेटर, स्टोरेज डिवाइसिज आदि), किसी भी प्रकार की घड़ी को परीक्षा लैब में लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
   अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर केवल प्रवेश-पत्र और पहचान प्रमाण-पत्र लेकर जाने की अनुमति है। परीक्षा लैब में रफ कार्य के लिए पैन/पेंसिल और कागज दिया जाएगा।

2) अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में ऊपर उल्लिखित प्रतिबंधित वस्तुएँ नहीं लानी हैं। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसी वस्तुएँ लाता है, तो उन्हें ऐसी वस्तुओं की सुरक्षा के लिए स्वयं व्यवस्था करनी होगी। दि.वि.प्रा. ऐसी किसी भी वस्तु की सुरक्षा के लिए न तो कोई व्यवस्था करेगा और न ही ज़िम्मेदार होगा।

3) यदि अभ्यर्थी के पास परीक्षा लैब में इस प्रकार की कोई वस्तु पाई जाती है तो उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी और उनके विरूद्ध कानूनी/आपराधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4) अभ्यर्थी आकर्षक वस्तुएँ, आवरण युक्त, धातुवाली ऐसी वस्तुएँ जिनमें अंगूठी, ब्रैसलेट, कुंडल, नथ, चेन, हार, पैंडेन्ट, बैज, ब्रॉच, हेयरपिन, हेयर-बैन्ड, पूरी बाजू वाले अथवा बड़े बटनों वाले कपड़े आदि शामिल हैं, न पहनें।
   पूरी बाजू वाली कमीज अथवा टॉप्स की अनुमति नहीं है और केवल आधी बाजू वाले कपड़ों की ही अनुमति है। ऐसे जूते अथवा अन्य फुटवेयर जो पैरों की उंगलियों को ढकते हों, नहीं पहने जाने चाहिए। पैरों की उंगलियों की तरफ से खुले फुटवेयर और सैंडल अथवा चप्पलों को पहनने की अनुमति है। लंबे बालों वाले अभ्यर्थियों को अपने बालों को बाँधकर आना चाहिए, ताकि उनके कान न ढके हों। सिर को ढकने वाले स्कार्फ की अनुमति नहीं है।

5) अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान अथवा परीक्षा स्थल पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करते हुए पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी को दि.वि.प्रा. में भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से बहिष्कृत कर दिया जाएगा और उसके विरूद्ध कानूनी/आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है।